नम्बर : ......
किस्म मुकदमा

डिग्री

गम्भीर सिंह बनाम गोविन्द सिंह

67/2017

2017/00090

16/5/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र दौनारी पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी दोनों उपस्थित। उपस्थित पक्षकारो को सुनाया गया तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सैंपऊ द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि अराजी ख. नं. 2218 रकबा 2 बिस्वा वादी गंभीरसिंह की खातेदारी की भूमि है। जिसकी उत्तरी भुजा पर गोविन्द सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी जसवंतपुरा ने 30 ft लम्बी व 10 ft चौडी दीवार बनाकर सीमेन्ट की चद्दर डाल ली है। जिसको भूसा भरने के काम में ले रहे है। शेष जमीन मौके पर खाली है तथा कुआ बना हुआ है। प्रतिवादीगण ने मौका पर्चा के कथनों को स्वीकार किया तथा मौका पर्चा पर प्रतिवादीगणों के हस्ताक्षर कराये गये है साथ ही उन्होने निवेदन किया है कि वह वादी की खातेदारी की अराजी से अपने अतिक्रमण को हटा लेंगे। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी की अराजी खसरा नं. 2218 पर किये गये अतिक्रमण को 15 दिवस में हटाकर वादीगण को कब्जा सौंपें। वादीगण अगर प्रतिवादीगण के द्वारा अतिक्रमण नही हटाये जाने की स्थिति में विधिवत न्यायालय में इजराय प्रस्तुत कर सकते है। अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

गोविन्द

गोविन्द सिंह

गवाह 222

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official